प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

09.01.2026 **15:00 बजे**

पंचायत चुनाव

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रोमेश वर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 जनवरी को इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में देर को लेकर डिक्कन कुमार ठाकुर की ओर से नवम्बर 2025 में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नंदलाल ठाकुर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बड़ी राहत करार दिया और कहा कि ये फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर पंचायत चुनाव टालने में लगी थी जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला एक नजीर है।

सुक्खू

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर आए प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला इस एक्ट की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार भी अप्रैल और मई महीने में ही पंचायत चुनाव करवाने के पक्ष में थी।

विक्रमादित्य

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण–चार के तहत प्रदेश में बनने वाली 2 सौ 49 सड़कों के लिए 23 सौ करोड़ की राशि मंजूर की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सड़कों की मंजूरी और राशि जारी करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात कर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण चार के तहत कार्य शुरू होगा और 15 सौ किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र द्वारा इस धनराशि को स्वीकृति देने के बाद राज्य के जनजातीय व दूरदराज के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी।

सुरेश कश्यप

सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने श्रम कानूनों में एतिहासिक सुधार किया है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने नई दिल्ली में वित्त समिति की बैठक में भाग लिया। सुरेश कश्यप ने कहा कि केन्द्र सरकार ने एक बड़े व एतिहासिक सुधार के तहत देश में लागू 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में एकीकृत किया है। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का ये नया ढांचा व्यापार करने की आसानी को बढ़ावा देता है और मजदूरों के लिए सामाजिक व मजदूरी सुरक्षा को भी व्यापक बनाता है।

डीसी बिलासपुर

बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा है कि बिलासपुर जिले में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति मानदेय आधार पर होगी। उन्होंने कहा है कि इन पदों के लिए पात्रता की दृष्टि से अभ्यार्थी का हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में न्यूनतम 5 वर्ष का सेवाकाल होना अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि इन पदों पर नियुक्त होने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं होनी चाहिए।